

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 20, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक 7092/डी. 146/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 14 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2020

वित्तीय वर्ष 2020–2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष
2020–2021 के
लिए राज्य की
संचित निधि में से
38,07,46,14,714
रूपयों का दिया
जाना।

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2020 कहलाएगा।

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2020 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 38,07,46,14,714 (तीन हजार आठ सौ सात करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार सात सौ चौदह रुपये) रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे।

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां	विधान सभा संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	रु	रु	रु
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	0	2,07,39,00,000	2,07,39,00,000
01	सामान्य प्रशासन	पूँजी 18,26,000	0	18,26,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 5,53,96,000	0	5,53,96,000
		पूँजी 79,96,000	0	79,96,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,20,00,00,100	0	1,20,00,00,100
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
10	वन	राजस्व 13,80,00,100	3,38,61,542	17,18,61,642
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 200	0	200
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी 50,00,000	0	50,00,000
13	कृषि	राजस्व 4,67,28,67,300	0	4,67,28,67,300
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 11,78,12,100	0	11,78,12,100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 100	0	100
16	मछली पालन	राजस्व 200	0	200
17	सहकारिता	राजस्व 100	0	100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व 3,87,30,68,000	77,84,000	3,88,08,52,000
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व 700	35,00,000	35,00,700
		पूँजी 2,25,00,52,000	0	2,25,00,52,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी 200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूँजी 8,00,00,000	0	8,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व 1,00,00,000	0	1,00,00,000
		पूँजी 5,00,300	0	5,00,300
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 15,00,000	0	15,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 5,00,000	0	5,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व 200	0	200
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व 20,00,000	0	20,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व 11,35,00,100	0	11,35,00,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,62,00,00,000	0	1,62,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 15,00,000	0	15,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व 200	0	200
34	समाज कल्याण	राजस्व 19,89,23,400	0	19,89,23,400
36	परिवहन	राजस्व 10,100	0	10,100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 5,90,64,79,600	0	5,90,64,79,600
		पूंजी 3,01,90,17,400	0	3,01,90,17,400
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी 3,80,000	0	3,80,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व 400	0	400
44	उच्च शिक्षा	राजस्व 300	0	300
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व 200	0	200
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व 300	0	300
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व 9,46,63,000	0	9,46,63,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व 4,80,68,00,000	0	4,80,68,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व 2,02,24,85,100	0	2,02,24,85,100
		पूंजी 58,03,51,000	0	58,03,51,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व 25,00,00,100	0	25,00,00,100
		पूंजी 17,10,57,200	0	17,10,57,200
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व 10,00,000	0	10,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 1,71,99,000	0	1,71,99,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी 50,00,000	0	50,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी 300	0	300
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 7,99,56,100	0	7,99,56,100
		पूंजी 87,07,25,372	0	87,07,25,372
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 100	0	100
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व 18,00,00,000	0	18,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत राजस्व	100	0	100
	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
योग	राजस्व पूंजी *	26,56,36,63,400	2,11,90,45,542	28,68,27,08,942
		9,39,19,05,772	0	9,39,19,05,772
वृहद योग		35,95,55,69,172	2,11,90,45,542	38,07,46,14,714

अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक 7092/डी. 146/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 11-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No.14 OF 2020)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. -3) ACT: 2020.

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2020-2021.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

Short title.	1.	This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No.) Act, 2020.
Issue of ₹ 38,07,46,14,714 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-2021.	2.	From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2020, amounting in the aggregate to the sums of Three Thousand Eight Hundred Seven Crore Fourty Six Lakh Fourteen Thousand Seven Hundred Fourteen Rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of services specified in column (2) of the schedule.
Appropriation.	3.	The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	0	2,07,39,00,000	2,07,39,00,000
01	General Administration	Capital 18,26,000	0	18,26,000
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue 1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
		Capital 80,00,00,000	0	80,00,00,000
04	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue 5,53,96,000	0	5,53,96,000
		Capital 79,96,000	0	79,96,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department	Revenue 1,20,00,00,100	0	1,20,00,00,100
		Capital 80,00,00,000	0	80,00,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department	Revenue 100	0	100
10	Forest	Revenue 13,80,00,100	3,38,61,542	17,18,61,642
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	Revenue 200	0	200
12	Expenditure pertaining to Energy Department	Capital 50,00,000	0	50,00,000
13	Agriculture	Revenue 4,67,28,67,300	0	4,67,28,67,300
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department	Revenue 11,78,12,100	0	11,78,12,100
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan	Revenue 100	0	100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department	Revenue 200	0	200
17	Co-operation	Revenue 100	0	100
19	Public Health and Family Welfare	Revenue 3,87,30,68,000	77,84,000	3,88,08,52,000
		Capital 80,00,00,000	0	80,00,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue 700	35,00,000	35,00,700
		Capital 2,25,00,52,000	0	2,25,00,52,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Capital 200	0	200
23	Water Resources Department	Capital 8,00,00,000	0	8,00,00,000
24	Public works-roads and bridges	Revenue 1,00,00,000	0	1,00,00,000
		Capital 5,00,300	0	5,00,300
25	Expenditure pertaining to Mineral resources Department	Revenue 15,00,000	0	15,00,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department	Revenue 5,00,000	0	5,00,000
27	School education	Revenue 200	0	200

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes.		Sums not exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		
			₹	₹	₹
28	State Legislature	Revenue	20,00,000	0	20,00,000
29	Administration of Justice and Elections	Revenue	11,35,00,100	0	11,35,00,100
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue	1,62,00,00,000	0	1,62,00,00,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department	Revenue	15,00,000	0	15,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department	Revenue	200	0	200
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department	Revenue	19,89,23,400	0	19,89,23,400
36	Transport	Revenue	10,100	0	10,100
39	Expenditure pertaining to Food , Civil Supplies and Consumer Protection Department	Revenue	100	0	100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	5,90,64,79,600	0	5,90,64,79,600
		Capital	3,01,90,17,400	0	3,01,90,17,400
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges	Capital	3,80,000	0	3,80,000
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department	Revenue	400	0	400
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department	Revenue	300	0	300
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue	200	0	200
54	Expenditure pertaining to Agricultural Research and Education	Revenue	300	0	300
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare	Revenue	9,46,63,000	0	9,46,63,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	4,80,68,00,000	0	4,80,68,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	2,02,24,85,100	0	2,02,24,85,100
		Capital	58,03,51,000	0	58,03,51,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	25,00,00,100	0	25,00,00,100
		Capital	17,10,57,200	0	17,10,57,200
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department - Urban Welfare	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
71	Electronics and Information Technology Department	Revenue	1,71,99,000	0	1,71,99,000
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources	Capital	50,00,000	0	50,00,000

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
Department				
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department	Capital 300	0	300
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue 7,99,56,100	0	7,99,56,100
		Capital 87,07,25,372	0	87,07,25,372
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Revenue 100	0	100
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue 18,00,00,000	0	18,00,00,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan	Revenue 100	0	100
Total		Revenue 26,56,36,63,400	2,11,90,45,542	28,68,27,08,942
		Capital 9,39,19,05,772	0	9,39,19,05,772
Grand Total		35,95,55,69,172	2,11,90,45,542	38,07,46,14,714